महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – छैयानबेवां संस्करण (माह जुलाई, 2024)

➔ ''पहल'' के इस संस्करण में ....

1. अपनी बात ....
2. जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह एवं वॉटरशेड सम्मेलन
3. कम्प्रेस्ड मिट्टी के ब्लॉक
4. जिला पंचायत की स्थायी समितियां एवं कामकाज की संचालन प्रकिया
5. "महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलावों का विश्लेषण" ग्राम पंचायत जरधोबा जिला पन्ना की एक केस स्टडी
6. बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और संरक्षणः एक विस्तृत दृष्टिकोण
7. Panchayat Advancement Index (PAI) 2.0 क्या है?
8. पंचायतों द्वारा स्वयं के संसाधनो से आय

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं मार्गदर्शक	प्रधान संपादक
श्रीमती दीपाली रस्तोगी (IAS) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	श्री अरविंद यादव, संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक

श्री एस.के. सचान,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का छैयानवां संस्करण का प्रकाशित किया जा रहा है।

इस संस्करण में परम पूज्य श्री दादाजी धूनीवाले जी की तपो भूमि खंडवा में परम पूज्य श्री दादागुरु जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी एवं माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी की गरिमामयी उपस्थिति में जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह एवं वॉटरशेड सम्मेलन में सहभागिता की गई। उद्‌गम मानस यात्रा का 90 दिन का यह पड़ाव पूर्ण हुआ। जिसमे जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल योद्धा सम्मानित किया गया। जिसे **''जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह एवं वॉटरशेड सम्मेलन''** एवं महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर एवं प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों में सीएसईबी बनाया जा रहा है, जिसे **''कम्प्रेस्ड मिट्टी के ब्लॉक''** समाचार आलेखों के रूप में शामिल किया गया है।

इसे साथ–साथ संस्करण में **''जिला पंचायत की स्थायी समितियां एवं कामकाज की संचालन प्रकिया'', "महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलावों का विश्लेषण", ''ग्राम पंचायत जरधोबा जिला पन्ना की एक केस स्टडी'', ''बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और संरक्षणः एक विस्तृत दृष्टिकोण'', ''Panchayat Advancement Index (PAI) 2.0 क्या है?''** एवं **''पंचायतों द्वारा स्वयं के संसाधनो से आय''** आदि आलेखों को शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण भरोसा है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

अरविंद यादव
संचालक

जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह एवं वॉटरशेड सम्मेलन

परम पूज्य श्री दादाजी धूनीवाले जी की तपो भूमि खंडवा में परम पूज्य श्री दादागुरु जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी एवं माननीय मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी की गरिमामयी उपस्थिति में जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन समारोह एवं वॉटरशेड सम्मेलन में सहभागिता कर उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित किया। उद्‌गम मानस यात्रा का 90 दिन का यह पड़ाव पूर्ण हुआ। जिसमे जल गंगा संवर्धन अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जल योद्धा सम्मानित हुए।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी और उनकी टीम के जल संवर्धन और संचयन के कार्यों से जल गंगा संवर्धन अभियान को जन–आंदोलन बनते देखना सुखद अनुभूति है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मध्यप्रदेश के लाखों लोगों के परिश्रम, समर्पण और आस्था से संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर प्रेषित अपने संदेश में प्रदेशवासियों, विशेषतः जलदूतों, स्व–सहायता समूह की महिलाओं और किसानों को शुभकामनाएँ दीं। माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी ने पानी की एक–एक बूँद बचाने के लिये 90 दिन तक चले जल गंगा संवर्धन अभियान में जन–भागीदारी से हुए कार्यों को ऐतिहासिक बताते हुए प्रदेशवासियों को उनके योगदान के लिये धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने मध्यप्रदेश के लाखों लोगों के परिश्रम, समर्पण और आस्था से संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन अवसर पर जारी अपने संदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी सहित प्रदेशवासियों को इस सफलता के लिये बधाई भी दी।

इस वर्ष हमने 50,000 खेत तालाब का लक्ष्य रखा था, लेकिन 83,000 तालाब बनाकर उसे पार किया। 1000 अमृत सरोवर का लक्ष्य भी पूरा किया गया है।

इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गी जी, माननीय मंत्री श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी, राज्यमंत्री श्री धमेन्द्र सिंह लोधी, एमएलए, राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं जनता जर्नादन की उत्साहजनक उपस्थिति रही।

कम्प्रेस्ड मिट्टी के ब्लॉक

सीएसईबी (संपीड़ित मिट्टी के ब्लॉक) बनाने का पहला प्रयास 19वीं सदी के शुरुआती दिनों में यूरोप में किया गया था। आर्किटेक्ट फ्रांकोइस कोइंटरॉक्स ने मिट्टी के छोटे–छोटे ब्लॉक पहले से तैयार किए थे और उन्होंने नम मिट्टी को पैरों से पकड़कर लकड़ी के छोटे–छोटे साँचे में दबाने के लिए हाथ से चलने वाले रैमर का इस्तेमाल किया था।

1950 के दशक में दुनिया में निर्मित पहला स्टील मैनुअल प्रेस सिनवरम था। यह कोलंबिया में एक सामाजिक आवास के लिए हाथ से ढ़ाले गए और धूप में सुखाए गए ईंट (एडोब) को बेहतर बनाने के लिए एक शोध कार्यक्रम का परिणाम था। इस प्रेस से सामान्य आकार के नियमित ब्लॉक बनाए जा सकते थे, जो आम एडोब की तुलना में अधिक सघन, मजबूत और अधिक जलरोधी होते थे तब से कई और प्रकार की मशीनें डिजाइन की गईं और कई प्रयोगशालाएँ इमारतों के लिए मिट्टी की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ और कुशल बन गईं। अफ्रीका के साथ–साथ दक्षिण अमेरिका, भारत और दक्षिण एशिया के कई देश इस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। सीएसईबी का निर्माण निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है –

1. आवास निर्माण हेतु सीएसईबी ईंटो के उपयोग को बढ़ावा देना।
2. सीएसईबी निर्माण हेतु अधिकतम लोगो को जागरुक करना।
3. सीएसईबी के निर्माण से पर्यावरण को होने वाले लाभ से अवगत कराना।
4. सीएसईबी के निर्माण से समुदाय में सृजित होने वाले रोजगार के अवसरो से अवगत करना।
5. सीएसईबी के अधिकतम उपयोग हेतु भविष्य की रणनीति का बनाना।
6. सीएसईबी द्वारा निर्मित आवास वर्तमान में प्रचलित तकनीकी की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं कार्बन फुट प्रिंट को कम करने में उपयोगी है।
7. सीएसईबी प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण को हरित बनाने एवं नये रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में उपयोगी है।

सीएसईबी के निर्माण एवं उपयोग से निम्नतम लाभ हो सकते है –

वनों की कटाई को सीमित करना

सीएसईबी के उत्पादन के लिए जलाऊ लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। यह जंगलों को बचाएगा, जो दुनिया में अल्पकालिक विकास और संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण तेजी से खत्म हो रहे हैं। सीएसईबी का कार्बन उत्सर्जन देशी पकी हुई ईंट की तुलना में 11.8 गुना कम है।

संसाधनों का प्रबंधन

प्रत्येक खदान को विभिन्न उपयोगों के लिए योजनाबद्ध किया जाना चाहिए, जल संचयन तालाब, अपशिष्ट जल उपचार, जलाशय, भूनिर्माण, आदि। यदि अच्छी तरह से संसाधनों को प्रबंधित किया जाए तो बहुत लाभदायक है, लेकिन अनियोजित होने पर विनाशकारी है। स्थानीय रूप से उत्पादित होने के कारण

इसके विभिन्न महत्व जैसे – तकनीकी, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वरुपों को आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है।

ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण मित्रता

केवल थोड़े से स्टेबलाइजर की आवश्यकता होने पर ऊर्जा की खपत पकी हुई ईंटों से कम हो सकती है। प्रदूषण उत्सर्जन भी पकी हुई ईंटों की तुलना में 2.4 से 7.8 गुना कम होगा।

लागत दक्षता

स्थानीय रूप से उत्पादित, प्राकृतिक संसाधन और अर्ध कुशल श्रम के साथ, लगभग बिना परिवहन के, यह निश्चित रूप से इसकी लागत प्रभावी होगा।

एक हस्तांतरणीय तकनीक

यह एक सरल तकनीक है जिसके लिए अर्ध कौशल की आवश्यकता होती है, जो आसानी से प्राप्त की जा सकती है। साधारण ग्रामीण कुछ ही हफ्तों में इसे करना सीख सकते है। कुशल प्रशिक्षण केंद्र एक सप्ताह के समय में तकनीक को हस्तांतरित कर सकता है।

रोजगार सृजन का अवसर

CSEB अकुशल और बेरोजगार लोगों को कौशल सीखने, नौकरी पाने और सामाजिक मूल्यों में वृद्धि करने का अवसर देता है।

सस्ते आवास निर्माण

स्थानीय संदर्भ (सामग्री, श्रम, उपकरण, आदि) के अनुसार अंतिम कीमत अलग–अलग होगी, लेकिन अधिकांश मामलों में पकी हुई ईंटों से निर्मित होने वाले आवास की अपेक्षा सीएसईबी से निर्मित होने वाले आवास कम व्यय के होंगे। सीएसईबी से निर्मित होने वाले आवास में प्लास्टर एवं पुताई की आवश्यकता नहीं होगी।

आयात में कमी

अर्ध कुशल लोगों द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित, दूर से महंगी सामग्री आयात करने या भारी और महंगी निर्माण सामग्री को लंबी दूरी तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है।

लचीला उत्पादन पैमाना

सीएसईबी के लिए उपकरण मैनुअल से लेकर मोटर चालित उपकरणों तक उपलब्ध हैं, जो गांव से लेकर अर्ध उद्योग पैमाने तक हैं। उपकरणों का चयन महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बार ठीक से हो जाने के बाद, प्रत्येक मामले के लिए सबसे अनुकूल उपकरण का उपयोग करना आसान होगा।

सामाजिक स्वीकृति

लंबे समय से, सीएसईबी खुद को विभिन्न जरूरतों के अनुकूल बना सकता है, गरीब से लेकर अमीर लोगों या सरकारों तक। इसकी गुणवत्ता, नियमितता और शैली उत्पादों की विभिन्न डिजाइन बनाती है।

उपयुक्त विशेषताओं के होने के कारण की जानकारी सीएसईबी के उपयोग की जानकारी जनमानस तक पहुंचाने एवं इसके व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है।

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर एवं प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रों में सीएसईबी बनाया जा रहा है। सीएसईबी को बनाने के लिये मिट्‌टी, रेत, सीमेंट, चूना एवं पानी की आवश्यकता होती है। सीएसईबी बनाने हेतु मिट्‌टी का परीक्षण आवश्यक है, उपयुक्त मिट्‌टी से ही सीएसईबी तैयार किये जाते है। सीएसईबी तैयार किये जाने हेतु मिट्‌टी 30 प्रतिशत, रेत 60–63 प्रतिशत, सीमेंट 7–10 प्रतिशत एवं पानी 12 लीटर (चूने का पानी आवश्यकतानुसार) से तैयार मोर्टार को कम्प्रेस्ड प्रेस (मशीन) में डालकर कम्प्रेस किया जाता है जिससे मिट्‌टी के ब्लॉक (ईंट) बनकर तैयार होते है।

कम्प्रेस्ड ब्लॉक प्रेस (मशीन)

निर्मित सीएसईबी ब्लॉक

महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्रो में निम्नानुसार मेसन प्रशिक्षण, सीएसईबी ब्लॉक बनाकर प्रोटोटाइप आवास निर्माण कार्य प्रगतिरत है –

क.	स्थल	प्रशिक्षित मेसन की संख्या	निर्मित ब्लॉक की संख्या	प्रोटोटाइप आवास निर्माण की स्थिति
1	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज संस्थान, जबलपुर	159	5250	डिजाइन फाइनल नहीं है।
2	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल	248	3000	निर्माण कार्य प्रगतिरत
3	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर	151	5000	निर्माण कार्य प्रगतिरत
4	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र उज्जैन	78	2600	डिजाइन फाइनल नहीं है।

5	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर	135	1535	डिजाइन फाइनल नहीं है।
6	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र सिवनी	167	4500	डिजाइन फाइनल नहीं है।
7	क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव	100	3700	डिजाइन फाइनल नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल एवं इन्दौर में बनाये गये सीएसईबी ब्लॉक से प्रोटोटाइप आवास का निर्माण कराया जा रहा है जिससे प्रशिक्षणार्थियों एवं जनमानस को यह दिखाया जा सके कि सीएसईबी ब्लॉक से बनाये गये आवास आकर्षक, किफायती, सांस्कृतिक एवं पारंपरिक धरोहरो को संजोने वाले है।

म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव, श्रीमती दीपाली रस्तोगी द्वारा ईटीसी भोपाल में निर्माणाधीन आवास का अवलोकन कर आवास को आकर्षक, किफायती एवं पारंपरिक बनाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल में निर्माणाधीन प्रोटोटाइप आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, भोपाल के संचालक श्री दिनेश द्वारा ईटीसी इन्दौर में निर्माणाधीन आवास का अवलोकन कर आवास को आकर्षक, किफायती एवं पारंपरिक बनाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतराज प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में निर्माणाधीन प्रोटोटाइप आवास

सीएसईबी के निर्माण से कार्बन फुटप्रिंट में कमी, रोजगार के अवसरो में वृध्दि, निर्मित होने वाले आवास मौसम अनुकूल एवं टिकाऊ होगें, अतः सीएसईबी तकनीकी का उपयोग करना सार्थक होगा।

डॉ त्रिलोचन सिंह
संकाय सदस्य

जिला पंचायत की स्थायी समितियां एवं कामकाज की संचालन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अध्याय 5 में पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मिलन की प्रक्रिया के अन्तर्गत धारा 47 में जिला पंचायत पंचायत की स्थाई समितियों से संबंधित प्रावधान दिये गये हैं। इसके साथ में ''मध्यप्रदेश जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत की स्थायी समितियॉ (सदस्यों का निर्वाचन, उनकी शक्तियॉ और कृत्य तथा सदस्यों का कार्यकाल और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 1994 बनाया गया है।

धारा 47 एवं इस नियम के अनुसार स्थायी समितियों का गठन एवं कामकाज संचालित किया जाता है। जिला पंचायत की स्थायी समितियों से संबंधित प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं :—

जिला पंचायत की स्थाई समितियां एवं विषय

प्रत्येक पंचायत अपने निर्वाचित सदस्यों में से निम्नलिखित स्थायी समितियॉ गठित करेंगी :—

(1) **सामान्य प्रशासन समिति** — जिला पंचायत की स्थापना और सेवाए, प्रशासन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना, बजट और लेखा, कराधान और अन्य वित्तीय मामलों तथा उन विषयों से, जो किसी अन्य समिति को आवंटित कृत्यों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, सम्बन्धित समस्त विषयों के लिये

(2) **कृषि समिति** — कृषि, पशुधन, विद्युत शक्ति, कृष्यकरण जिसमें मृदा संरक्षण और सामोच्यबंधान (कंटूर बंडिंग) सम्मिलित हैं के लिये और मत्स्यपालन, कम्पोस्ट खाद बनाने, बीज वितरण और कृषि एवं पशुधन विकास से सम्बंधित अन्य विषयों के लिये

(3) **शिक्षा समिति** — शिक्षा के लिये जिसमें प्रौढ़ शिक्षा सम्मिलित है, निःशक्तों तथा निराश्रितों के सामाजिक समाज कल्याण, महिला एवं शिशु कल्याण, अस्पृश्यता निवारण, बाढ़, सूखा, भूकम्प, ओला वृष्टि, दुर्भिक्ष, टिड्डीदल तथा अन्य ऐसी आपातिक स्थितियों से उत्पन्न होने वाली आपदाओं से राहत के लिये और मद्यत्याग या मद्यनिषेध, स्वास्थ्य और स्वच्छता, आदिम जाति तथा हरिजन कल्याण के लिये

(4) **संचार तथा संकर्म समिति** – संचार, लघु सिंचाई, ग्रामीण गृह निर्माण, ग्रामीण जलप्रदाय, जल निकास तथा अन्य लोक संकर्मों के लिये

(5) **सहकारिता और उद्योग समिति** – सहकारिता, मितव्ययिता यानि खर्च में कमी और अल्प बचत, कुटीर तथा ग्रामोद्योग, बाजार एवं सांख्यिकी के लिये

(6) **स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण समिति** – लोक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण जल प्रदाय तथा जल निकासी के लिये

(7) **वन समिति** – सामाजिक वानिकी**,** एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय उद्यान, लघु वन उपज का विकास तथा वानिकी कार्यक्रमों के लिये

- उपरोक्त समितियों के अतिरिक्त जिला पंचायत विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से किन्हीं ऐसे अन्य विषयों के लिये, जो उपरोक्त समितियों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, एक या अधिक ऐसी समितियों का गठन कर सकेगी।
- किसी समिति को सौंपे गये विषय को जिला पंचायत विहित प्राधिकारी के अनुमोन से किसी अन्य ऐसी समिति को पुनः आवंटित कर सकेगी या किसी ऐसी समिति को कोई ऐसा विषय सौंप सकेगी जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है।
- सामान्य प्रशासन समिति में सभी स्थाई समितियों के सभापति सदस्य होंगें। बाकी सभी समितियों में कम से कम पांच सदस्य चुने जाएंगें। इन पांच सदस्यों का चुनाव जिला पंचायत के सदस्य अपने में से करेंगे।
- इन समितियों में दो ऐसे लोगो को सदस्य के रूप में चुना जा सकता है जो समिति को सौंपे गये विषय पर काफी अनुभव और ज्ञान रखते हों इन सदस्यों को मत देने का अधिकार नही होगा।
- संसद सदस्य जो कि जिला पंचायत के सदस्य है, भी जिला पंचायत की किन्हीं दो समितियों में सदस्य हो सकते है।
- जिला पंचायत की सभी समितियां अधिक से अधिक दो विधायकों को इस शर्त के साथ अपनी समिति का सदस्य बनाएगी के वे दो से ज्यादा समितियों के सदस्य नही बनेंगे।
- शिक्षा समिति के सदस्यों में एक पद महिला के लिए आरक्षित है। एक पद अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति को चुना जाएगा।
- जिला पंचायत का कोई भी सदस्य एक बार में तीन से ज्यादा समितियों के सदस्य नहीं हो सकते

समितियों के सभापति

- जिला पंचायत के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति के पदेन सभापति होगे
- जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, पदेन, शिक्षा समिति के सभापति होगें।
- सामान्य प्रशासन समिति के सभापति किसी दूसरी समिति के सदस्य नही होंगे।
- शिक्षा समिति के सभापति भी किसी दूसरी समिति के सदस्य नही होगें।
- सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति को छोड़कर हर समिति अपने चुने गए सदस्यों में से सभापति का चुनाव तय किए गए नियमों के अनुसार करेंगी।

जिला पंचायत की स्थायी समिति की शक्तियां

जिला पंचायत की स्थायी समितिया के अधिनियम के प्रावधानों के अर्न्तगत सौपे गए विषयों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां होगी–

(क) कागजपत्रों, दस्तावेजों तथा अन्य जानकारी को उसी रीति में तथा उसी सीमा तक मंगाना जिस तक कि यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को मंगाने की शक्ति है।

(ख) निधियों की उपलब्धता के अध्यधी रहते हुए अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए विषयों पर यथास्थिति, जनपद पंचायतों या जिला पंचायतों, के वार्षिक बजट में उपबंधित सीमा तक व्यय उपगत करना।

(ग) निधियों को एक शीर्ष के अधीन एक उपमद से उसी शीर्ष की अन्य उपमद में पुनर्विनियोजित करना तथा यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के अनुमोदन से रकम को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में पुनर्विनियोजन करना ।

(घ) विभिन्न शीर्षों के अधीन अभ्यर्पित किए जाने के लिये संभाव्य रकम का प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के अंत तक प्राक्कलित करना और ऐसे विवरण यथास्थिति जनपद पंचायत को, जिला पंचायत को प्रस्तुत करना।

स्थायी समिति के कृत्य

अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए संबद्ध स्थायी समिति निम्नलिखित कृत्य करेगी, अर्थात् :–

(क) जिला पंचायत को सौपे गये कार्यक्षेत्र में आने वाले कृत्य।

(ख) इसके कार्यक्षेत्र में आने वाली स्कीमों या कार्यक्रमों के बारे में तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार करना और उसे यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के लिये क्रमशः जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के अंत तक प्रस्तुत किया जाना।

(ग) इसके द्वारा उपगत किए गए व्ययों का समुचित लेखा बनाए रखना।

जिला पंचायत स्थायी समितियो की मासिक बैठक

स्थायी समिति के सभापति तथा सदस्यों की पदावधि वही होगी जो जिला पंचायत के सदस्यों की है परन्तु, कोई भी व्यक्ति, जो जिला पंचायत का सदस्य नहीं रह जाता है, स्थायी समिति का सभापति या सदस्य नहीं रहेगा।

(1) स्थायी समिति का सभापति जितनी भी बार आवश्यक हो उतनी बार किन्तु प्रत्येक मास में कम से कम एक बार स्थायी समिति का सम्मिलन बुलाएगा ।

(2) सभापति कम से कम तीन सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक लिखित अध्यपेक्षा किए जाने पर स्थायी समिति का सम्मिलन बुलाएगा।

(3) यदि उक्त अध्यपेक्ष प्राप्त होने की तारीख से दस दिन के भीतर सम्मिलन नहीं किया जाता है तो, यथास्थिति जनपद पंचायत, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा सम्मिलन बुलाएगा।

सम्मिलन की सूचना

प्रत्येक सम्मिलन की ऐसी सूचना, जिसमें उसकी तारीख, समय तथा स्थान और उसमें किए जाने वाला कामकाज विनिर्दिष्ट किया गया हो, सम्मिलन से पूरे पांच दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जाएगी तथा यथास्थिति, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के कार्यालय में प्रदर्शित की जाएगी।

गणपूर्ति

स्थायी समिति के सम्मिलन के लिये आवश्यक गणपूर्ति पीठासीन प्राधिकारी को सम्मिलित करते हुए तत्समय गठित स्थायी समिति के आधे सदस्यों से होगी।

यदि किसी सम्मिलन में गणपूर्ति होने के लिये पर्याप्त सदस्य उपस्थित नहीं हैं, तो पीठासीन प्राधिकारी उसे ऐसे समय या तारीख तक के लिये स्थगित कर देगा जैसा वह उचित समझे तथा उसकी घोषणा तत्काल आख्यापित करेगा और उस कामकाज को, जो यदि गणपूर्ति होती तो मूल सम्मिलन के समक्ष लाया जाता, स्थगित सम्मिलन के समक्ष लाया जाएगा और ऐसे सम्मिलन में या किसी पश्चात्वर्ती स्थगित सम्मिलन में चाहे वहां गणपूर्ति हो या ना हो उसका निपटारा किया जाएगा।

सम्मिलन का सभापति

सभापति स्थायी समिति के सभी सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा किन्तु उसकी अनुपस्थिति में उस सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिये उपस्थित सदस्य अपने में स एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे।

सम्मिलन में किया जाने वाला कामकाज

सम्मिलन में सूचना विनिर्दिष्ट कामकाज से भिन्न कोई भी अन्य कामकाज पीठासीन प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

जहां कोई मामला एक से अधिक स्थायी समिति से संबंधित हो तो उसे विनिश्चिय के लिये यथास्थिति जनपद या जिला पंचायत के समक्ष रखा जाएगा।

स्थायी समिति के सम्मिलन में जनता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा–स्थायी समिति के सम्मिलनों में जनता के सदस्यों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

स्थायी समितियों का सचिव

सामान्य प्रशासन समिति को छोड़कर जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी, स्थायी समिति का सचिव होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सामान्य प्रशासन समिति का सचिव होगा।

स्थायी समिति का सचिव, जब तक कि उसे युक्तियुक्त तथा पर्याप्त कारणों से ना रोका जाए तब तक स्थायी समिति के सम्मिलन में उपस्थित रहेगा तथा सम्मिलन में चर्चा के अधीन किसी विषय के संबंध में जानकारी या स्पष्टीकरण दे सकेगा।

जनपद पंचायत या जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी किसी स्थायी समिति के सम्मिलन में उपस्थित हो सकेगा तथा ऐसे सम्मिलन में चर्चा के अधीन किसी विषय के बारे में स्पष्टीकरण दे सकेगा या कथन कर सकेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ऐसे सम्मिलन में उपस्थित हो सकेगा तथा उक्त कृत्यों का पालन कर सकेगा।)

कामकाज की मदों का विनिश्चय

स्थायी समिति के किसी सम्मिलन के समक्ष लाये गये सभी प्रश्नों का विनिश्चय समिति के सदस्यों के मतैक्य के आधार पर किया जाएगा। परंतु यदि किसी विवाद्यक पर तीव्र मतभेद हो तो पीठासीन प्राधिकारी उस पर मत लेगा।

स्थायी समिति के सभी निर्णय बैठक हेतु रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किये जाएंगे। परंतु यदि मत लिए जाते हैं तो निर्णय को विवाद्यक बिन्दु के पक्ष या विपक्ष में मत दे रहे सदस्यों के नामों के साथ, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा।

स्थायी समिति की कार्यवाहियां

स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मिलन के कार्यवृत्त को, देवनागरी लिपि में हिन्दी में लिखकर तैयार किया जाएग तथा इस प्रयोजन के लिये रखी गई पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा और सम्मिलन के पीठासीन प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के सम्मिलन में लिए गए विनिश्चिय की संक्षिप्तियां और उसके कार्यवृत्त, उसी मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, जो उसकी प्रतियां जानकारी के लिए संबद्ध जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को भी भेजेगा, जनपद पंचायत के आगामी सम्मिलनों में रखे जाएंगे।

जिला पंचायत की स्थायी समितियों के सम्मिलन में लिए गए विनिश्चिय की संक्षिप्तियां और उसके कार्यवृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के आगामी सम्मिलनों में रखे जाएंगे और उनकी एक प्रति संभाग आयुक्त को भी जानकारी के लिये भेजी जाएगी।

चर्चाधीन कामकाज में हित रखने वाले सदस्य

स्थायी समिति का कोई भी सदस्य सम्मिलन में चर्चा हेतु आने वाले ऐसे किसी मद पर, यदि मत ऐसा है जिससे उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धन संबंधी हित हो, मत नहीं देगा, या चर्चा में भाग नहीं लेगा।

स्थायी समिति का पीठासीन प्राधिकारी, किसी सदस्य को, किसी ऐसे मद पर, जिसमें उसे ऐसे सदस्य का ऐसा हित रखने का विश्वास है, मत देने या चर्चा में भाग लेने से रोक सकेगा या वह ऐसे व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वयं ऐसे मद पर चर्चा के दौरान अनुपस्थित रहे।

ऐसा सदस्य पीठासीन प्राधिकारी के विनिश्चय को चुनौती दे सकेगा जो तदुपरि सम्मिलन में भाग ले रहे शेष सदस्यों के समक्ष प्रश्न रखेगा और ऐसे शेष सदस्यों का उस पर बहुमत द्वारा लिया गया विनिश्चिय अंतिम होगा।

यदि सम्मिलन में किसी सदस्य को ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति चर्चाधीन किसी मद में कोई धन संबंधी हित रखता है और सम्मिलन में भाग ले रहे अन्य सदस्यों के बहुमत द्वारा उस प्रभाव का लाया गया प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है तो ऐसा व्यक्ति मद पर चर्चा के दौरान ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता नहीं करेगा और सम्मिलन की अध्यक्षता किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा की जावेगी, जो ऐसी दशा में अध्यक्षता करता जबकि अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अनुपस्थित होता।

अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर पुनर्विचार

किसी ऐसे विषय पर जिसका स्थायी समिति द्वारा एक बार अंतिम रूप से निपटारा कर दिया गया है छह मास की कालावधि के भीतर उसके द्वारा तब तक पुनर्विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके लिये यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्यों में से कम से कम तीन चौथाई सदस्यों की अभिलिखित सहमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या जनपद पंचायत की दशा में जब तक कि कलेक्टर ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए निर्देश पर उसका पनुर्विचार करने के लिये निदेश न दे दिया हो या जिला पंचायत की दशा में जब तक कि आयुक्त ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा किए गए निर्देश पर उसका पुनर्विचार करने के लिये निदेश न दे दिया हो।

डॉ. संजय राजपूत,
संकाय सदस्य

"महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लाए गए सकारात्मक बदलावों का विश्लेषण" ग्राम पंचायत जरधोबा जिला पन्ना की एक केस स्टडी

1. परिचय

भारत में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण शासन की एक मजबूत आधारशिला है, जो संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करना, गांवों के समग्र विकास को गति देना तथा जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है। ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास की इकाई होती हैं, जो न केवल बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव में सहायक होती हैं, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं का निष्पादन भी इन्हीं के माध्यम से होता है।

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की ग्राम पंचायत जरधोबा एक ऐसा ही उदाहरण है, जहां पहले बुनियादी ढांचे की कमी, योजनाओं का असमान क्रियान्वयन, और शासन में महिलाओं की भागीदारी की कमी जैसी समस्याएँ मौजूद थीं। लेकिन जब से श्रीमती रामरानी राजगोंड को सरपंच के रूप में चुना गया, पंचायत में न केवल शासन व्यवस्था में सुधार हुआ है, बल्कि महिलाओं की भागीदारी, योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन और ग्राम सभा की सक्रियता में भी सकारात्मक परिवर्तन आया है।

इस अध्ययन का उद्देश्य ग्राम पंचायत जरधोबा के माध्यम से यह समझना है कि स्थानीय स्वशासन, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विशेषकर महिला प्रतिनिधियों, और ग्राम सभा की भूमिका ग्राम विकास में कितनी महत्वपूर्ण है।

2. अध्ययन के उद्देश्य:

1. स्थानीय स्वशासन के महत्व की पहचान करना।
2. निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका की पहचान करना।
3. निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका का विश्लेषण करना।
4. ग्राम सभा के महत्व का विश्लेषण करना।

3. अनुसंधान पद्धति :

इस अध्ययन को ग्राम पंचायत जरधोबा में क्रियान्वित किया गया है। प्राथमिक आंकड़ों (Primary Data) के संग्रह हेतु प्रश्नावली (Questionnaire) को शोध उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया। केवल ग्राम सभा के सदस्य ही इस अध्ययन में उत्तरदाता के रूप में शामिल किए गए। उत्तरदाताओं के चयन के लिए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना विधि **(Stratified Random Sampling Method)** का उपयोग किया गया। ग्राम पंचायत जरधोबा में कुल 877 ग्राम सभा सदस्य मतदाता सूची में दर्ज हैं, जिनमें से 30 उत्तरदाताओं को नमूना आकार (Sample Size) के रूप में अध्ययन हेतु चयनित किया गया।

4. ग्राम पंचायत जरधोबा की सामान्य जानकारी:

ग्राम पंचायत जरधोबा, मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले और पन्ना विकासखंड के अंतर्गत स्थित है। यह पंचायत सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें कई गांव शामिल हैं। पंचायत की जनसांख्यिकीय और प्रशासनिक स्थिति निम्नानुसार है:

विवरण	आंकड़े
कुल गांवों की संख्या	7
आबाद (जनवासी) गांव	3
उजाड़ (निर्जन) गांव	4
कुल जनसंख्या	1526
वर्गवार जनसंख्या विभाजनः	
अनुसूचित जनजाति (ST)	823
अनुसूचित जाति (SC)	234
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	411
सामान्य वर्ग (UR)	58
ग्राम सभा के सदस्य (कुल मतदाता)	877
कुल वार्ड सदस्य	15
– महिला वार्ड सदस्य	8
– पुरुष वार्ड सदस्य	7
सरपंच/मुखिया का नाम	श्रीमती रामरानी राजगोंड (ST)

5. विश्लेषण एवं निष्कर्ष :

इस अध्ययन में ग्राम पंचायत जरधोबा के ग्राम सभा सदस्यों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष और विश्लेषण प्रस्तुत हैंः–

उत्तरदाताओं में 90% साक्षर और 10% निरक्षर हैं, जो दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता की स्थिति संतोषजनक है। आयु समूह में 31–40 वर्ष के उत्तरदाता सबसे अधिक (40%) हैं, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत गतिविधियों में युवा और प्रौढ़ वर्ग की भागीदारी अधिक है।

स्थानीय स्वशासन की समझः

कथन (Statement)	हाँ (Yes)	नहीं (No)	कुल (Total)
ग्राम विकास के लिए स्थानीय स्वशासन महत्वपूर्ण है।	28	2	30
प्रतिशत (%)	93.3%	6.7%	100%

निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रियता:

कथन (Statement)	हाँ (Yes)	नहीं (No)	कुल (Total)
"निर्वाचित जनप्रतिनिधि (ERs) प्रत्येक बैठक (ग्राम सभा, वार्ड सभा आदि) में सक्रिय भागीदारी करते हैं।"	18	12	30
प्रतिशत (%)	60%	40%	100%

महिला जनप्रतिनिधियों की छवि पर ग्राम सभा सदस्यों की राय:

कथन (Statement)	हाँ (Yes)	नहीं (No)	कुल (Total)
"महिला जनप्रतिनिधियों की छवि पुरुष जनप्रतिनिधियों की तुलना में अच्छी और ईमानदार मानी जाती है।"	22	8	30
प्रतिशत (%)	73.3%	26.7%	100%

ग्राम सभा की भूमिका पर ग्राम सभा सदस्यों की राय:

कथन (Statement)	हाँ (Yes)	नहीं (No)	कुल (Total)
"ग्राम सभा ग्राम पंचायत में निर्णय लेने की एक सहभागी (participatory) और पारदर्शी (transparent) प्रक्रिया है।"	24	6	30
प्रतिशत (%)	80%	20%	100%

1. 93.3% उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि स्थानीय स्वशासन ग्राम विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि ग्रामवासी स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को समझते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं।
2. केवल 60% उत्तरदाताओं ने बताया कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नियमित रूप से ग्राम सभा और वार्ड सभा जैसी बैठकों में भाग लेते हैं। शेष 40% की राय इससे विपरीत है, जो यह संकेत देता है कि कुछ प्रतिनिधियों की भागीदारी और उत्तरदायित्व में सुधार की आवश्यकता है।
3. 73.3% उत्तरदाताओं ने माना कि महिला जनप्रतिनिधियों की छवि पुरुषों की तुलना में अधिक अच्छी और ईमानदार है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला नेतृत्व न केवल स्वीकार्य है, बल्कि लोगों के मन में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी है।
4. 80% उत्तरदाताओं का मानना है कि ग्राम सभा एक पारदर्शी और सहभागी निर्णय लेने की प्रक्रिया है। हालांकि, 20: उत्तरदाताओं की असहमति यह संकेत देती है कि ग्राम सभा की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने की जरूरत है।

6. क्रियान्वित की जा रही श्रेष्ठ प्रक्रियाएँ:

1. जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन

ग्राम पंचायत जरधोबा में जल जीवन मिशन का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया। सरपंच श्रीमती रामरानी राजगोंड और उनकी टीम ने यह सुनिश्चित किया कि पंचायत की सभी परिवारों को नल जल कनेक्शन

उपलब्ध हो। इस कार्य की निगरानी के लिए एक सार्वजनिक निगरानी प्रणाली (च्नइसपब डवदपजवतपदह ैलेजमउ) भी स्थापित की गई है, जो समस्याओं की पहचान और समाधान में सक्रिय भूमिका निभा रही है।
''समर्थन'' नामक गैर–सरकारी संगठन ने इस प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने में अहम योगदान दिया है।

2. महिला नेतृत्व एवं भागीदारी

पंचायत में नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया। महिला स्वयं सहायता समूहों (ैभ्ळे) को सशक्त किया गया जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

सरपंच ने यह सुनिश्चित किया कि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने अधिकारों का प्रयोग स्वयं करें, न कि वे किसी पुरुष रिश्तेदार की प्रॉक्सी बनें।

7. निष्कर्ष:

ग्राम पंचायत जरधोबा का अध्ययन यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब स्थानीय शासन में ईमानदारी, सक्रियता और सहभागिता को प्राथमिकता दी जाती है, तो वह पंचायत समावेशी, पारदर्शी और टिकाऊ विकास का सशक्त माध्यम बन सकती है। विशेष रूप से जब नेतृत्व महिला प्रतिनिधि के हाथों में हो और वह केवल नाममात्र की नहीं, बल्कि वास्तविक निर्णयकर्ता की भूमिका निभा रही हो, तो पंचायत में सकारात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं।

इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि–

- जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का स्थानीय स्तर पर समर्पित क्रियान्वयन संभव है,
- महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सशक्त कर के आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सकती है,
- ग्राम सभा जैसे मंचों को सक्रिय और पारदर्शी बनाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है,
- सबसे महत्वपूर्ण, सामुदायिक भागीदारी के बिना किसी भी योजना की सफलता अधूरी रह जाती है।

जरधोबा पंचायत, विशेष रूप से सरपंच श्रीमती रामरानी राजगोंड के नेतृत्व में, एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जो यह प्रमाणित करता है कि ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती, और स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग विकास की दिशा में प्रभावशाली कदम हो सकते हैं।
यह मॉडल अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रेरणास्पद उदाहरण बन सकता है, जो सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और समावेशी विकास की दिशा में कार्य करना चाहते हैं।

फोटोग्राफ– क्षेत्रीय भ्रमण ग्राम पंचायत जरधोबा, पन्ना

डॉ. अमित आठ्या
समंवयक, एन.आ.आई.आर.डी.

बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और संरक्षणः एक विस्तृत दृष्टिकोण

बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं, और उनकी सुरक्षा, उचित देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करना समाज के प्रत्येक सदस्य की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में ही बच्चे अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकते हैं और एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

बच्चों की सुरक्षा का महत्व

बच्चों की सुरक्षा का अर्थ केवल उन्हें शारीरिक चोट से बचाना नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक, मानसिक और साथ ही ऑनलाइन सुरक्षा भी शामिल है। असुरक्षित वातावरण बच्चों में भय, चिंता,डर, निराशा , उदासी ,गुस्सा आदि नकारात्मक संवेगो के अलावा कभी–कभी आघात का कारण बन सकता है, जिससे उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दुर्भाग्य से, बच्चे विभिन्न प्रकार के खतरों का सामना करते हैं, जिनमें शारीरिक शोषण, यौन शोषण, उपेक्षा, बुलीइंग, बाल श्रम और ऑनलाइन शिकार शामिल हैं। इन खतरों से उन्हें बचाने के लिए माता–पिता, शिक्षक, सरकार और पूरे समाज को मिलकर काम करना होगा।

बच्चों की देखभालः एक सर्वांगीण दृष्टिकोण

बच्चों की देखभाल केवल उनकी बुनियादी जरूरतों, जैसे भोजन, कपड़े और आश्रय, को पूरा करने से कहीं अधिक है।

इसमें उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना शामिल है :–

’ शारीरिक देखभाल :– पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वच्छ वातावरण प्रदान करना उनके शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है।

’ भावनात्मक देखभाल :– बच्चों को प्यार, समर्थन और सुरक्षा की भावना देना उनके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए और उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि उनके विचारो को सुना जाता एवं महत्व दिया जाता हैं।

शैक्षिक देखभाल :– गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बच्चों को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं। इसमें उन्हें स्कूल में सुरक्षित और सहायक माहौल वातावरण प्रदान करना भी शामिल है।

’ सामाजिक देखभाल :– बच्चों को सामाजिक कौशल विकसित करने और दूसरों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करना उनके सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्हें खेलने और साथियों के साथ बातचीत करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए।

बच्चों का संरक्षण :–

बच्चों का संरक्षण उन्हें नुकसान से बचाने और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और सामाजिक उपायों का एक समूह है। इसमें शामिल हैंः

बाल संरक्षण कानून :– देश में बाल संरक्षण ,बाल श्रम, बाल विवाह, बाल शोषण और तस्करी को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का प्रभावी प्रवर्तन/ क्रियान्वश्न सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।

' जागरूकता अभियान :– बच्चों को सुरक्षित रहने के तरीके सिखाने और वयस्कों को संभावित खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाना महत्वपूर्ण है। बच्चों को ''गुड टच'' और ''बैड टच'' के बारे में सिखाया जाना चाहिए। स्वंय की सुरक्षा कैसे करें एवं इससे संबंधित कौशल में प्रशिक्षित भी करने के लिए जागरुक करनें अभियान चलाना महत्वपूर्ण है।

' रिपोर्टिंग तंत्र :– बच्चों के साथ दुर्व्यवहार या शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए आसान और सुरक्षित तंत्र उपलब्ध होने चाहिए। पीड़ितों को सहायता और परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।

' पारिवारिक सहायता :– कमजोर परिवारों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओ एवं कार्यक्रमों की जानकारी एवं इन तक पहुॅच की सुगम एवं व्यवहारिक तकनीक से जुडाव की प्रक्रिया का सरलीकरण ताकि वे अपने बच्चों की ठीक से देखभाल कर सकें, बच्चों को उपेक्षा से बचा सके ।

ऑनलाइन सुरक्षा :– इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ, बच्चों को ऑनलाइन शिकार, साइबरबुलिंग और अनुचित सामग्री से बचाने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। माता–पिता को बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग के बारे में शिक्षित कर उनकी जिज्ञासा को शांत करना अति आवश्यक है।

हम क्या कर सकते है ?

बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता हैः। माता–पिता के रूप मेंः अपने बच्चों के साथ एक खुला और भरोसेमंद रिश्ता बनाएं। उन्हें सुरक्षित रहने के तरीके सिखाएं और उनकी चिंताओं को ध्यान से सुनें।

शिक्षकों के रूप में :– स्कूल में एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाएं। बच्चों में जागरूकता बढ़ाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करें।

समाज के सदस्यों के रूप में :– बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें। यदि आपको किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा का संदेह है, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

सरकार के रूप में :– मजबूत बाल संरक्षण नीतियां बनाएं और उनका प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करें। बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और पीड़ितों को सहायता प्रदान करें।

बच्चों का भविष्य हमारे हाथों में है। जब हम उनकी सुरक्षा, देखभाल और संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं, तो हम न केवल एक मजबूत पीढ़ी का निर्माण करते हैं, बल्कि एक दयालु और जिम्मेदार समाज का भी निर्माण करते हैं।

बच्चों का संरक्षण और देखभाल सिर्फ एक नैतिक दायित्व नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए एक आवश्यक निवेश है। जब हम अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, तो हम वास्तव में अपने भविष्य में निवेश करते हैं।

डॉ. वंदना तिवारी,
व्याख्याता

Panchayat Advancement Index (PAI) 2.0 क्या है?

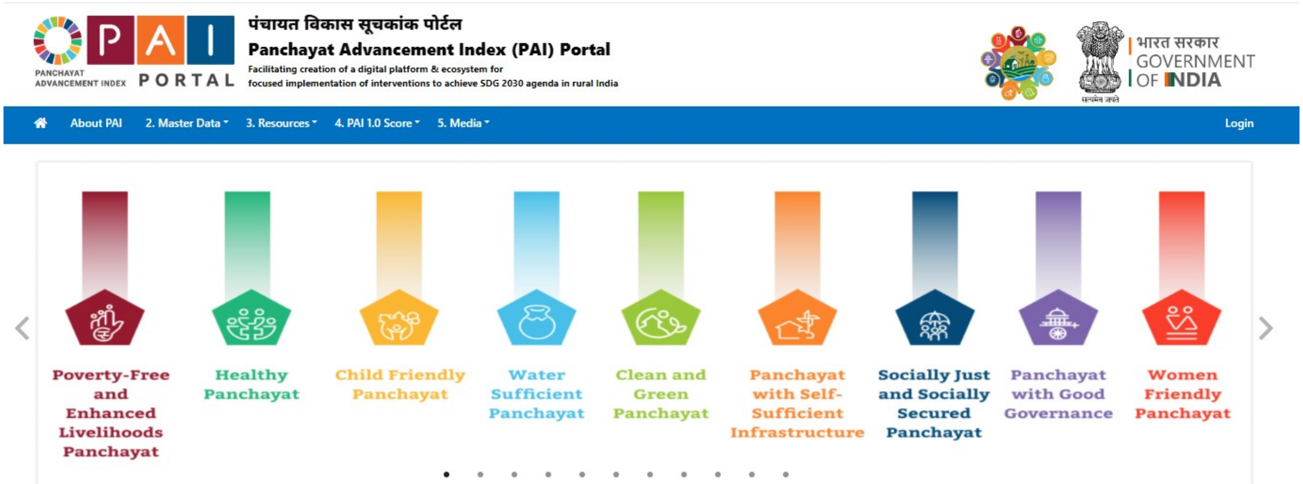

1. PAI 2.0 क्या है?

PAI एक बहु डोमेन, बहु सेक्टरल सूचकांक है, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों के समग्र, समावेशी, और स्थिर विकास को मापना है। यह रैंकिंग 9 थीमों (Localized SDGs) — गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, पर्यावरण, अवसंरचना, शासन, सामाजिक न्याय PAI व महिला सशक्तिकरण — में पंचायत जिम्मेदारी और प्रगति का आकलन करता है

2. 2.0 की प्रमुख विशेषताएँ ☑

1. संकेतकों में कटौती —पहले 516, अब 147 — जिससे उपयोगिता बढ़ी और रिपोर्टिंग का बोझ घटा ।
2. डेटा स्वचालन —कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे केंद्रीय पोर्टल से डेटा सीधे लिया जाता है।
3. मोबाइल अनुकूल इंटरफेस— उपयोगकर्ताओं के लिए सहज लेआउट, सरल डैशबोर्ड ।
4. डेटा सत्यापन— गलत प्रविष्टियाँ पकड़ने और सुधारने की क्षमता ।
5. निर्णय समर्थन प्रणाली पंचायत को कमजोर क्षेत्रों की पहचान और प्राथमिकता तय करने में मदद मिलती है ।
6. ग्रेडिंग मॉडल —ग्राम पंचायतों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।
7. पारदर्शिता व जवाबदेही— सरकारी योजनाओं व उपलब्धियों को ग्राम पंचायत भवनों पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने को प्रेरित करता है ।

3. 9 थीम —

विश्व स्तर पर सतत् विकास के निम्नानुसार 17 लक्ष्यों को तय किया गया है। इन लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु निम्नानुसार 9 विषय (थीम) चिन्हित की गईं हैं :—

विषय 1 गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत पंचायत

विषय 2 स्वस्थ्य पंचायत

विषय 3 बाल मैत्री पंचायत

विषय 4 जल की प्रचुरता वाली पंचायत

विषय 5 स्वच्छ और हरित पंचायत

विषय 6 आत्मनिर्भर बुनियादी ढ़ांचे वाली पंचायत

विषय 7 सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत

विषय 8 सुशासन

विषय 9 महिला हितैषी पंचायत

4. राष्ट्रीय राइटशॉप – लॉन्च इवेंट

तारीखरू 26–27 मई 2025

स्थान– डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली

प्रतिभागी– 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से 250 अधिकारी, MoPR, MoSPI, NITI Aayog, SIRD ,UNICEF, UNFPA,NIC आदि

प्रमुख आयोजन–

1. LIF Booklet और SOP का विमोचन
2. PAI 2.0 पोर्टल लॉन्च और प्रशिक्षण सत्र
3. डेटा एंट्री, सत्यापन कार्यशाला
4. PAI 1.0 अनुभवों का आदान प्रदान और GPDP से समेकन

5. उद्देश्य और प्रभाव–

डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया – वास्तविक समय, विश्वसनीय डेटा के आधार पर GPDP में सुधार संभव

ग्राम स्तरीय क्षमता निर्माण – पंचायत स्वयं अपनी प्राथमिकताएँ चुनें ।

स्वस्थ प्रतिस्पर्धा –ग्रेडिंग प्रणाली से प्रेरणा व उपलब्धियों पर ध्यान।

PAI 2.0 एक सुधारित, सरल, और डेटा संचालित है, जो ग्राम पंचायतों को सामर्थ्य प्रदान करता है –

रिपोर्टिंग बोझ को कम किया गया है (516⟶147 संकेतक)।

डेटा स्वचालित और भरोसेमंद है।

मोबाइल अनुकूल पोर्टल के माध्यम से निर्णय सहायता मिलती है।

पारदर्शिता व सामाजिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

SDG 2030 की दिशा में ग्रामीण भारत को जोड़ने हेतु एक ठोस पहल।

सुरेन्द्र प्रजापति
संकाय सदस्य

पंचायतों द्वारा स्वयं के संसाधनो से आय

पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यह रहा है कि ग्राम स्तर पर लोग खुद अपने विकास तथा सामाजिक बदलाव की जिम्मेदारी लें।ग्रामसभा एवं ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र के विकास के काम कर सकें, लोगों को पेयजल, सड़क, साफ–सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित तमाम मूलभूत सुविधायें दे सकें इसके लिये संसाधनों की आवश्यकता होती है। ग्राम पंचायत को संसाधन कहां कहां से मिलते है, कितना संसाधन मिल सकता है, कैसे मिलता है, किन कामों के लिये मिलता है आदि की जानकारी पंचायतों के प्रतिनिधियों को होना आवश्यक है ताकि वे अपनी ग्राम पंचायत के लिये आवश्यक संसाधन जुटा कर अपने क्षेत्र की जनता को सुख सुविधायें प्रदान कर सकें।

ग्राम पंचायत की आमदानी के स्रोत

ग्राम पंचायत के मुख्य रूप से दो स्रोत हैं –

⇨ अपने स्वयं के संसाधन से होने वाली आय।

⇨ बाहरी स्रोत से प्राप्त होने वाली अनुदान राशियां ।

स्वयं के संसाधनो से पंचायतों की आय

अनिवार्य कर

1. ऐसी भूमि/भवन जिनका बाजार मूल्य रू. 6000 से अधिक हो उन पर संपत्ति कर धारा 77(क)
2. हॉस्टल सुविधा पाले शैक्षणिक संस्थाओं (स्कुल–कॉलेज) पर कर
3. निजी शौचालय जो सरकारी मदद से न बने और जिनकी सफाई ग्रामसभा अधिकरण द्वारा की जाती है। उन पर कर।
4. ग्रामसभा क्षेत्र की सीमाओं के भीतर जो आजीविका कमाता है उस पर कर लगाना।

अन्य कर

1. ग्राम पंचायत के क्षेत्र में यदि कोई पर्यटन स्थल है तो वहां आने वाले पर्यटकों पर एन्ट्री फीस, पार्किगं शुल्क
2. यदि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में कोई मेला पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वही लगाई जाने वाली खाने पीने की दुकाने, खिलोने आदि की दुकाने, लाइसेंस फीस ली जा सकती है।
3. ग्राम सभा के अन्दर चारागाहो पर जानकारों को चराने के लिए फीस
4. ऑटो/तांगा स्टैण्ड पर फीस
5. बाजार में बेचे जाने वाले पशुओं पर रजीस्ट्रेशन फीस वसूली।

पंचायत की आय में वृद्धि हेतु सुझाव

1. सरकारी भूमि पर फलदार वृक्षारोपण और उनसे आय
2. कुटीर उधोग से कमाई जैसे बांस की टोकरी बनाना
3. मछलीपालन, मूर्गीपालन, सुअरपालन, जैविक खाद
4. दूध डेयरी, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को विकसित कर आय सृजन
5. सर्कस, सिनेमाघर आदि पर मनोरंजन कर कुश्ती, देगल, प्रदर्शन खेल आयोजन आदि से आय अर्जन
6. पंचायत की भूमि को कृषि कार्य अथवा चारागाह आदि हेतु प्रयोग कर ठेके पर देना
7. बूचडरखाने पर लाइसेंस फीस

8. कोल्ड स्टोरिज, भंडारगृह, वेयर हाऊस की व्यवस्था पर कर
9. पंचायज क्षेत्र में स्थापित बड़े उधोग को अनुमोदित देते समय ग्राम सभा द्वारा कर की बाध्यता रखी जा सकती है।
10. यदि कोई ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य करती है जो सार्वजनिक हित में हो और इसके लिए सरकारी अनुदान नहीं मिलता हो तो ग्रम पंचायत अधिभार या सरचार्थ लगाकर कमाई कर सकती है।

ग्राम पंचायत के सरपंच, पंच, को क्या चाहिए :—

1. जनपद स्तर से ग्राम पंचायत सरपंच पंच का बुनियादी **उन्मुखीकरण—फाउंडेशन** प्रशिक्षण
2. ग्राम सभा बैठक का आयोजन
3. ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता के सहयोग से कर अधिरोपण के प्रावधसान एवं उनसे होने वाले लाभो का प्रचार प्रसार
4. कर योग्य संपत्ति, कर —शुल्क दाताओं का प्रभावी चयन, पंच द्वारा करों की वसूली में मदद करना।

अगर वे अपनी भुमिका सही तरीके से नही निभाते तो व्यक्तिगत रूप से दण्ड का प्रावधान नहीं है। वर्तमान में कर अधिरोपण एवं आय अर्जित न कर पाने पर विकास कार्यो में अन्य पंचायत की तुलना में पीछे रह सकते है

योजना का सही तरीके से कियान्वयन करने से ग्रामसभा पर सकारात्मक प्रभाव :—

1. अधिक आय प्राप्ति से शासन पर निर्भरता में कमी आयेगी।
2. स्थानीय स्तर पर रोजगार में वृद्धि।
3. आर्थिक आत्मनिर्भरता से जीवनस्तर में वृद्धि।
4. अधोसंरचना विकास में क्रान्तिपूर्ण वृद्धि।
5. महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि से विकास में पहल।

योजना का सही तरीके से कियान्वयन नहीं करने से उनकी ग्राम पंचायत पर नकारात्मक प्रभाव

1. विकास की गति में अवरोध
2. प्राकृतिक अथवा पंचायत के अन्तनिहित साधनों का प्रयोग न हो पाना।
3. समय संगत कार्य संभव न हो पाना।

पंकज राय,
संकाय सदस्य